

निदेशक उच्चतर शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

ग में

हरियाणा राज्य के अराजकीय महाविद्यालय के सभी प्राचार्य ।

यादी क्रमांक: 18/1-89 - सी-टा 141

दिनांक: 28-8-89

विषय:- अराजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके एक आश्रित सदस्य को कल्याणमूलक आधार पर नियुक्त करने बारे ।

==

अराजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के एक आश्रित को प्रबन्धकों द्वारा अपने कालेज में उपयुक्त रिक्त क्लास तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति का मामला सरकार के विचाराधीन था । सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि किसी अराजकीय महाविद्यालय में नियुक्त कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर, उसके आश्रित एक सदस्य को प्रबन्धक श्रेणी-1111 या चतुर्थ के रिक्त पद पर बिना रोजगार कार्यालय के माध्यम से सरकार की अनुमति से नियुक्त कर सकते हैं । यह आवश्यक है कि आश्रित कर्मचारी रिक्त पद की आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं पूरी करता हो तथा परिवार के सदस्यों को उसे नौकरी पर लगाने में आपत्ति न हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी नियुक्ति रिक्त पद उपलब्ध होने पर उसी कालेज में प्रबन्धकों द्वारा दी जा सकती है जिसमें मृतक कर्मचारी नियुक्त था तथा किसी अन्य अराजकीय कालेज में नौकरी दिलवाने का सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा ।

इस क्रम में उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रस्ताव भेजते समय निम्नलिखित सूचना साथ भेजी जाये :-

1. मृतक कर्मचारी का नाम तथा पद सज्ञा ।
2. जन्म तिथि
3. वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि
4. मृत्यु तिथि । प्रमाण पत्र साथ लगाया जाये ।
5. मृतक के परिवार के सदस्यों का ब्यौरा । प्रत्येक सदस्य का नाम तथा जन्म तिथि अंकित की जाये ।।

जिस आश्रित को नौकरी दी जाने का प्रस्ताव है उसकी जन्म तिथि योग्यता का पूरा ब्यौरा तथा प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां साथ भेजी जाये । साथ में यह भी प्रमाणित किया जाये कि परिवार के सदस्य उसे नौकरी दिलवाने में सहमत

22/8/89  
11/5/89  
7/8/89  
8-93

संस्था इस विषय में प्रस्ताव भेजते समय रिक्त पद का ब्यौरा, उस पर नियुक्ति की निर्धारित योग्यताओं का विवरण देते हुये यह स्पष्ट करेगी कि सम्बन्धित आश्रित आवश्यक योग्यताएं पूरी करता है तथा उसकी नियुक्ति के लिए उचित सिफारिश करेगी । इस विषय नियुक्ति सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही की जाये । इस पत्र की पावती भेजी जाये ।




संयुक्त निदेशक महाविद्यालय,  
कृते: निदेशक, उच्चतर शिक्षा हरियाणा ।

पूछांकन क्रं. काक सम- दिनांक:

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजित है ।

1. डीन आफ, कालेजिज, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ।
2. डीन आफ कालेजिज, ए. 0 डी 0 विश्वविद्यालय, रोहतक ।
3. अधीक्षक कालेज-4 शाखा । स्थानीय ।



संयुक्त निदेशक महाविद्यालय,  
कृते: निदेशक, उच्चतर शिक्षा हरियाणा ।